न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **154/2022**

GCMS NO. : 2022/00336

–: प्रार्थीगण :–

1. उमाराम पुत्र पेमाराम
2. घेवरराम पुत्र धूलाराम
3. डावरराम पुत्र धूलाराम
4. तेजाराम पुत्र धूलाराम
5. बगाराम पुत्र पेमाराम
6. भंवरलाल पुत्र पेमाराम
7. लुम्बाराम पुत्र सियाराम
8. लालाराम पुत्र पेमाराम
9. सेणीदेवी पत्नी भीयाराम
10. सीतादेवी पत्नी घेवरराम सभी जातियान–सीरवी, सभी निवासीगण काणेचा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर(राज)

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. उगमादेवी पुत्री मांगीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम
3. कमला पत्नी मांगीलाल
4. गुडिया पुत्री कानाराम
5. दीनाराम पुत्र कानाराम
6. धूलाराम पुत्र केसाराम
7. धाराराम पुत्र घेवरराम
8. पोकरराम पुत्र घेवरराम
9. बाबूलाल पुत्र हीरा
10. रतनाराम पुत्र हीरा
11. रूपाराम पुत्र हीरा
12. रामलाल पुत्र हीरा
13. शिवजीराम पुत्र हीरा
14. सुगनाराम पुत्र मांगीलाल
15. समुदेवी पत्नी कानाराम
16. सांवरी पुत्री कानाराम
17. सिणगारी पत्नी हीरा
18. हितेन्द्र पुत्र मांगीलाल सभी जाति जाट निवासीगण काणेचा तहसील जैतारण जिला ब्यावर
19. किशनलाल पुत्र घेवरराम
20. तुलछाराम पुत्र सीयाराम
21. दीपाराम पुत्र पेमाजी फौत के कायम मुकाम

    21/1–सायरीदेवी पत्नी दीपाराम

    21/2–धर्माराम पुत्र दीपाराम

    21/3–पोकरराम पुत्र दीपाराम

    21/4–उमाराम पुत्र दीपाराम

    21/5. बुधाराम पुत्र दीपाराम
22. परमादेवी पत्नी रतनलाल
23. पवन पुत्र रतनलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

अप्रार्थी संख्या 22 परमादेवी पत्नी रतनलाल

24. भीयाराम पुत्र पेमाराम
25. राकेश पुत्र भीयाराम
26. संजय पुत्र भीयाराम
27. सुरेश पुत्र सियाराम जातियान सीरवी निवासीगण काणेचा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
28. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 19/09/2022

उपस्थितः- 1. श्री साकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनाँकः- 11/06/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा काणेचा, पटवार हल्का काणेचा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण, जिला-ब्यावर राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 8.0047 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.2179 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इसी प्रकार सरहद मौजा काणेचा पटवार हल्का काणेचा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील-जैतारण, जिला ब्यावर राज0 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की खातेदारी भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 4.8238 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 5 रकबा 0.9793 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम की कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की कृषि भूमि जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की कृषि भूमि के उत्तरी-पश्चिमी दिशा की तरफ चिपते ही स्थिति है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की कृषि भूमि है और मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 19 से 27 का कब्जा काश्त है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

तरमीम है तथा मौके पर भी उक्त आराजी अलग से बंटी हुई है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 जिनकी की कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 19 से 27 से अलग है और उनकी भूमि भी अलग से मौके पर बंटी हुई है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थीगण की जमीन की मौके पर मांठे तोड़कर दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया एवं आये दिन सीमाज्ञांन व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 विवाद करते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 जो कि संख्या मे अधिक होने से प्रार्थीगण को बेवजह हैरान परेशान करते है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की जमीनें अलग अलग बंटी हुई है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 जानबुझकर के मांठ को लेकर विवाद करते हैं और बार-बार कभी खन्दक को बिखेर देते हैं व कभी मांठ हटा देते हैं इस प्रकार बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं और सीमा को लेकर विवाद करते हैं इसलिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र कराने सीमाज्ञान का विरूद्ध अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में काश्त सम्बन्धित कार्य कर रहे थे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 सीमा को लेकर विवाद किया तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 से सीमाज्ञान करवाने का भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 सीमाज्ञान करवाने के लिये भी रजामन्द नही हो रहे है और प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन मे हक जताना शुरू कर दिया और दिनांक 23/08/2022 को प्रार्थीगण के खेत की उत्तरी-पश्चिमी दिशा की तरफ लगी मांठ को भी बिखेर दिया और विवाद करने लगे जबकि प्रार्थीगण की भूमि मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 का कोई हक अधिकार नहीं है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 अपनी हरकतों से बाझ नही आ रहे हैं और जबरदस्ती खन्दक को हटाकर विवाद शुरू कर दिया जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे अलग से दर्ज है परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 गैरकानूनी तरीके से विधिविरूद्ध रूप से पिछले काफी दिनों से सीमा को लेकर विवाद कर रहे हैं और प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तरी-पश्चिमी दिशा की तरफ कायम मांठ को बिखेर कर अपना हक जता रहे हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 जो कि संख्या मे ज्यादा होने से प्रार्थीगण की जमीन को सीमा विवाद करके जमीन हडपना चाहते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की नियत शुरू से ही गलत है और वह कानून हाथ मे लेकर गैरकानूनी कृत्य करते हुए सीमा विवाद खडा कर दिया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 के विरूद्ध सीमा विवाद किया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23/08/2022 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 द्वारा सीमा विवाद करने पर नापचौप करवाने एवं सीमाज्ञान का कहने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 स्पष्ट इन्कार हो गये तब प्रार्थीगण ने दिनांक 23/08/2022 को अप्रार्थी संख्या 28 तहसीलदार जैतारण को अपनी भूमि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण

का नापचौप कर सीमाज्ञान करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार फीस अदा की जिस पर आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 28 ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की तथा मौके पर सीमा को लेकर विवाद है इसलिए सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही सीमाज्ञान जरिये पुलिस इमदाद के किया जाना संभव है तब प्रार्थीगण के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर है। अप्रार्थी संख्या 28 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की आराजी सरहद मौजा काणेचा पटवार हल्का काणेचा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 में स्थित होने से उक्त प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष निर्धारित न्याय शुल्क पर सादर पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7, 9 से 12 व 14 से 27 को बार बार आवाज दिलाई गई, बावजूद सम्मन/सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण सं. 8 व 13 की ओर से वकील सुरेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 8 व 13 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के अनेक एवं अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद पेश करने में विफल रहने से अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी एवं भू नक्शा की सत्यापित प्रतिलिपि पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

01. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा काणेचा पटवार हल्का काणेचा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 8.0047 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.2179 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त अनुसार दर्ज है।

02. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की खातेदारी भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 4.8238 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 5 रकबा 0.9793 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम की कृषि भूमि इन्द्राज है।

03. प्रार्थना-पत्र के अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 18 की जमीनें अलग अलग बंटी हुई है फिर भी सीमा को लेकर विवाद होता

अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा काणेचा पटवार हल्का काणेचा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 8.0047 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.2179 हैक्टयर किस्म चाही प्रथम की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 19 से 27 की खातेदारी भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थीगण संख्या 01 से 18 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 4.8238 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 5 रकबा 0.9793 हैक्टयर किस्म सेवज दोयम की कृषि भूमि के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर सीमाचिन्ह् अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि सरहद मौजा काणेचा पटवार हल्का काणेचा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला-ब्यावर राज0 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 8.0047 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 12 रकबा 11.2179 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 6 रकबा 4.8238 हेक्टेयर किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 5 रकबा 0.9793 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम की कृषि भूमि के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर खातेदारान् के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जावे। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 11/06/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)